Telephone No.-07423-292090
Email Id.-dcourtnee-mp@nic.in

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

::– निविदा सूचना ::–

समस्त स्थानीय वर्दी विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय नीमच के द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए स्थापना के चतुर्थ श्रेणी (पुरूष/महिला) कर्मचारीगण के लिए वर्दी (पोलीवस्त्र–सफेद/खाकी वर्दी मय टोपी, ब्लैजर तथा साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट) आदि का क्रय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम, 2015 के विहित प्रावधानों के अनुरूप किया जाना है।

अतः उक्तानुसार वर्दी क्रय हेतु मोहरबंद निविदायें दिनांक 30 सितंबर, 2022 (शुक्रवार) की सायं 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा का प्रारूप एवं शर्तें तथा वांछित सामग्री की जानकारी उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.in तक पर भी उपलब्ध हैं।

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नीमच (म.प्र.)

Telephone No.-**07423-292090**
Email **ld.-dcourtnee-mp@nic.in**

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

::– वर्दी कय हेतु वांछित सामग्री की सूची ::–

01–	पुरूष कर्मचारीगण हेतु	:–	पोलीवस्त्र–सफेद / खाकी वर्दी मय टोपी के तथा ब्लैजर।
02–	महिला कर्मचारीगण हेतु	:–	साड़ी, ब्लाउज एवं पेटीकोट।

उक्त वर्दी मय सिलाई के प्रदाय की जानी है।

16.9.2022

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नीमच (म.प्र.)

Telephone No.-07423-292090
Email ld.-dcourtnee-mp@nic.in

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीमच जिला नीमच(म.प्र.)

::– निविदा आवेदन पत्र 2022–23 ::–

स.क.	विवरण	विवरण
1	विक्रेता संस्था का नाम एवं पता तथा दूरभाष कमांक/मोबाईल कमांक।	
2	संस्था के मालिक का नाम।	
3	संस्था का पंजीयन कमांक।	
4	संस्था का विकय कमांक।	
5	संस्था का जी.एस.टी. कमांक।	
6	प्रदाय किये जाने का पूर्व अनुभव।	
7	क्या संस्था/विक्रेता किसी सामग्री को पदाय करने हेतु अधिकृत संस्था है, यदि हां तो विवरण दीजिए।	
8	अधिकृत विक्रेता अपने प्रमाण पत्र की छयाप्रति संलग्न करें।	
9	क्या शासन ने संस्था को सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु अयोग्य धोषित किया है ?	
10	बैंक शाखा का नाम एवं कोड कमांक।	
11	संस्था द्वारा चालू वर्ष 2022–23 के लिए रकम रुपये 1,000/– (एक हजार रुपये) अमानत राशि जमा किये जाने और फिक्स डिपॉजिट रसीद मूल प्रति आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करें जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीमच के नाम देय हो।	

16.9.2022

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नीमच (म. प्र.)

निविदाकर्ता/आवेदक
के हस्ताक्षर

Telephone No.-07423-292090
Email Id.-dcourtnce-mp@nic.in

कार्यालय—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

::— निविदा की शर्तें ::—

चालू वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिए स्थापना हेतु वर्दी क्रय के लिए सीलबंद निविदायें निम्न शर्तों के अंतर्गत आमंत्रित की जाती हैं :—

01— चतुर्थ श्रेणी पुरूष कर्मचारीगण के लिए पोलीवस्त्र—सफेद/खाकी वर्दी मय टोपी, ब्लैजर के तथा महिला कर्मचारीगण के लिए साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट आदि का क्रय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम, 2015 के विहित प्रावधानों के अनुरूप किया जावेगा।

02— वर्दी सिलाई सहित प्रदाय की जाना अनिवार्य होगा। निविदा में पुरूष कर्मचारी की वर्दी तथा ब्लैजर एवं महिला कर्मचारीगण के लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज की दरें प्रतिनग सिलाई सहित दर्शित की जाना होगी।

03— निविदा आवेदन पत्र के संलग्न राशि रुपये 1,000/— की अमानत राशि हेतु डी.डी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीमच के नाम देय होगा जो किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी।

04— वर्दी का प्रकार एवं अन्य समस्त जानकारी एवं निविदा आवेदन प्राप्त करने हेतु इच्छुक विक्रेतागण वेबसाईट पर प्रकाशन के पश्चात् दिनांक २९.०९.२०२२ तक प्रातः 11:00 से सायं 05:00 बजे के बीच में प्रभारी अधिकारी, लेखा अनुभाग नीमच से संपर्क कर सकते हैं।

05— लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "वर्दी सामग्री प्रदाय हेतु निविदा" लिखा जाना चाहिए।

06— नियत दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

07— आदेशानुसार वर्दी सामग्री जिला न्यायालय में पहुंचाने तक का समस्त उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।

08— प्रधान जिला वं सत्र न्यायाधीश नीमच को यह अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताये सभी निविदाओं को निरस्त कर सकते हैं।

09— निविदा में दर्शित सामग्री/वर्दी का कपड़ा किस कंपनी द्वारा निर्मित है, वर्दी हेतु कपड़े का साईज, एवं नवीनतम मूल्य अंकित करना अनिवार्य है। साथ ही फर्म की सील नमूना वर्दी पर होना अनिवार्य है।

10— निविदाकार उनके द्वारा दी गयी सूची की सामग्री आवश्यकताअनुसार स्वीकृत दर एवं मात्रा पर निर्धारित तिथि तक प्रदाय करने हेतु बाध्य होगा।

निरंतर पेज ...02

11— प्रदाय की गयी वर्दी कंपनी की न होने एवं निम्न स्तरर की होने की दशा में निविदाकार को स्वयं के व्यय पर वापस लेना होगा तथा निर्धारित कंपनी के अनुसार वर्दी अतिशीघ्र प्रदाय करनी होगी।

12— आदेश प्राप्त होने के 01 माह में समस्त वर्दियां सीलकर प्रदाय की जाना अनिवार्य होगा।

13— निविदा की दरें दिनांक 31.03.2023 तक के लिए मान्य होंगी।

14— निविदाकार, वाणिज्यकर विभाग से पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की छयाप्रति संलग्न करे तथा फार्म ने आयकर अदा किया है, उस पर कोई कर बकाया नहीं है, स्पष्ट करें।

15— निविदा में अंकित कंपनी के ही कपड़े की वर्दी प्रदाय की जाना होगी।

16— किसी भी शर्त के भंग होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा तथा ऐसी स्थिति में सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।

17— शासन द्वारा जी.एस.टी. अधिक या कम होने पर विचारणीय होगा।

18— वर्दी की दरें जी.एस.टी. सहित दी जावें। नमूना निर्माण दिनांक सहित होना चाहिए।

19— निविदा प्रारूप एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील अनिवार्यत् अंकित होना चाहिए।

20— निविदा फार्म एवं सूची इस कार्यालय से ही लेना अनिवार्य होगा, अर्थात् नेट पर दर्शित निविदा फार्म, वर्दी की सूची की प्रति या इनकी फोटोप्रति निविदा फार्म के रूप में स्वीकार नहीं की जावेगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता.......................................

मोबाईल कमांक...................................

16.9.2022
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नीमच (म. प्र.)